न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 461/2017
तारीख निर्णय– 19/01/2021
प्रार्थी :–

1. स्व चमनाराम पुत्र वजारामजी जाति–मेघवाल, निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी जिला–पाली के कायम मुकाम
   1/1 हेमी पत्नी श्री चमनाराम जी आयु–46 वर्ष
   1/2 मन्जु पुत्री चमनारामजी पत्नी गुलाब आयु–32 वर्ष हाल– उदरथल तहसील–देसूरी जिला–पाली
   1/3 रेखा पुत्री चमनाराम आयु–27 वर्ष निवासी–नाडोल पत्नी प्रकाश हाल निवासी–मोकमपुरा तहसील–रानी
   1/4 रमेश पुत्र चमनाराम आयु–30 वर्ष निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम :–

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से– वकील श्री सुरेश दवे, सुशील दवे।
अप्रार्थी की ओर से–सरकारी पैराकार तहसीलदार देसूरी।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 19.01.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाडोल 2 पटवार हल्का नाडोल–2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली के खाता संख्या नया–1 पुराना–1 के खसरा नम्बर 5194 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टर भूमि वर्गीकरण बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीयों का वर्तमान में कब्जा काश्त है।

[illegible] यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीयों के [illegible] वजा पुत्र पीथाराम भांबी साकिन देह खातेदार के नाम से संवत [illegible] प्रार्थीया के ससुर वजाराम की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया के पति [illegible] कौम भांबी साकि[illegible] खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:29 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 2 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी, पाली

के नाम से पुराने खसरा नम्बर 2148 के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट के पश्चात खसरा नम्बर 2145 को नये खसरा नम्बर 5194 में परिवर्तित कर दिया गया।

प्रार्थीयों के पति चमनाराम की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीयों एवम प्रार्थीयों के वारिसों का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु तकनीकी या भूलवंश प्रार्थीयों का नाम उपरोक्त आराजी कृषि भूमि में दर्ज न कर खसरा नम्बर 5194 में काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत दर्ज कर दिया गया है। जो गलत एवम् निराधार है जिस परिवर्तित कर प्रार्थीयों के पूर्वजों से आ रही आराजी कृषि भूमि में प्रार्थीयों के नाम में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थीयों एवम् स्व चमनारामजी के वारिसानो के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाडोल के हाल खसरा नम्बर 5194 रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज है। ग्राम नाडोल गत खसरा नम्बर 2145 मी. रकबा 2 बीघा में वजा वल्द पीथा कौम मेघवाल खातेदार दर्ज था। गत खाते में वजा फौत होने से एक नामान्तरकरण दर्ज कर चमनाराम पुत्र वजाराम दर्ज किया गया। गत खसरा 2145 गत हाल खसरा 5194 मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवम् अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 5194 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टर भूमि जिस पर वर्तमान में प्रार्थिया का कब्जा काश्त होना बताया गया है उक्त भूमि प्रार्थियों के ससूर वजा पुत्र पीथाराम भांबी के नाम सवत् 2026 से 2029 में दर्ज था। प्रार्थियों के ससूर वजा की फौत होने से दिनांक 18.01.1983 को वजा के पुत्र चमनाराम के नाम से नामान्तरकरण भरा गया था। जिसके पश्चात् भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही की गई। सेटलमेन्ट के पश्चात् खसरा नम्बर 2145 से नये खसरा नम्बर 5194 में परिवर्तित किया गया। तथा उक्त भूमि काबिले काश्त पुरानी पडत दर्ज की गई।

यह है कि उक्त कार्यवाही भू[illegible] जाने के बाद विभाग द्वारा [illegible]न पर्चो जारी किया गया था उसमें प्रार्थियों [illegible] क्यो नही किया गया, जिसका स्पष्टीकरण पत्रावली में नही हैं। [illegible] सेटलमेन्ट विभाग के बाद से लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक लगातार काश्त के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज

पेज नम्बर 3 पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नही है। तथा भू-प्रबन्ध कार्यवाही के बाद लम्बी अवधि गुजर चुकी है। इस दौरान दुरस्ती का कोई आवेदन प्रार्थी द्वारा क्यो नही किया गया। जिसका भी स्पष्टीकरण पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवम् उपलब्ध दस्तावेजों एवम् साक्ष्य का परीक्षण एवम् गहन मनन करने के पश्चात् यह प्रथम दृष्टया प्रार्थिया द्वारा सिवायचक आराजी संख्या 5194 में स्वयं एवमं स्वयं के वारिसान का रिकोर्ड में नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। जो धारा 136 के तहत देय नही है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्कोप बेहद सीमित है किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि जहॉ पक्षकार ऐसी त्रुटि के लिये सहमत हो। उसी के संबंध में अनुतोष दिया जा सकता है। न्यायालय की राय में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

-:आदेश :-

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र हस्व धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् सारहीन होने खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:29 IST
Reason: SelfAttested